भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 872

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि

872. श्री राजकुमार रोत:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के वेतन में वर्ष-वार कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को वर्तमान में दिए जा रहे वेतन उनके कार्यों और वर्तमान मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें किए गए भुगतान की लागत में हिस्सेदारी करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र और राज्य सरकारें अपनी-अपनी निधि अलग-अलग समय पर जारी करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या केंद्र सरकार समय पर कुल धनराशि प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है आौर इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियमित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय के "मानद कार्यकर्त्री " हैं जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। भारत सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय में वृद्धि करती है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह कर दिया है; मिनी-आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 2,250/- रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250/- रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500/- रुपये प्रति माह का कार्य निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके अलावा, राज्य/संघ शासित प्रदेश अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय की जानकारी अनुलग्नक में दी गई है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से लगातार संवाद/वीडियो कॉन्फ्रेंस/सलाह के माध्यम से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को गैर-योजना संबंधी कार्यों में शामिल न करें ताकि उनके समय का उपयोग योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जा सके।

(ग) से (ङ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को मानदेय के भुगतान के लिए निधियां केंद्र और राज्य सरकार के बीच निम्न लागत साझाकरण पद्धति के अनुसार आंगनवाड़ी सेवाओं (सामान्य) से संबंधित निधियों के भाग के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती हैं:

राज्यों की श्रेणी	**आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लागत साझाकरण अनुपात (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका को मानदेय)**
विधानसभा वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	60:40
पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य (जम्मू और	90:10

कश्मीर सहित)	
विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्र	100:0

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएनए अनुपालन पूरा करने के बाद तिमाही आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधि जारी की जाती है।

(च): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्त्री" हैं जो समुदाय की मदद करने के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। हालाँकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं की सेवा शर्तों को तय करने वाले प्राथमिक प्राधिकारी हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 26.07.2024 को उत्तर के लिए "आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि" पर लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के भाग (क) से (ख) का अनुलग्नक

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**राज्य द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से (प्रति माह) रुपए में भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय**	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	**आंगनवाड़ी सहायिका**
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव), 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (10 वर्ष से अधिक सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान	5250

		किया जाता है।	
7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू और कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों के लिए 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों के लिए 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500

15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति माह 250 वेतन वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800- आंगनवाड़ी केन्द्र और 2750-मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुद्दुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	16.01.2024 से प्रभावी 2000+ 1000	16.01.2024 से प्रभावी 2000+ 1000
29	असम	आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के	1000

		लिए 1250	
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 न्यूनतम	4218 (अधिकतम) एवं 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

*****